।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/37 तारीख रज्जू 09.05.2019

01– गिर्राज पुत्र श्री मन्या बैरवा उम्र करीब 45 साल निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर –प्रार्थी

2019
50

बनाम

01– बलवीर वर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप वर्मा जाति जाटव निवासी ग्राम अलापुर तहसील व जिला अलवर

02– डालचन्द पुत्र स्व० श्री मन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

03– दीपचन्द पुत्र स्व० श्री मन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

04– शारदा बाई पुत्री स्व० श्री मन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

05– सुखबाई पत्नि स्व० श्री मन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर

06– हीरादेवी पुत्री स्व० श्री मन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम खेडका तहसील व जिला अलवर –असल अप्रार्थीगण

07– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर –भूमिधारी तकमीली प्रतिवादी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी</u>

–: निर्णय :– दिनांकः 29.08.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.91 है० वाके ग्राम खेडका तहसील अलवर में स्थित है। जिसमें गिर्राज का 19/480, डालचन्द्र का 5/24, दीपचन्द का 19/120, बलवीर का 19/160, शारदाबाई का 19/120, सुखबाई का 19/120 एवं हीरादेवी का 19/120 हिस्सा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मुश्तर्का में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अब संयुक्त रूप से काश्त करना दुस्वार हो गया है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी को खुर्दबुर्द करने व वादी की आराजी पर लट्ठ के बल पर कब्जा करने की कोशश में है व कच्चा पक्का निर्माण करने की जुस्तजू में है। दिनांक 24.04.2019 को प्रार्थी को प्रतिवादीगण ने धमकी दी बिना बटवारा किये उक्त आराजी में प्लाट काटेंगे व निर्माण कार्य करेगें व उक्त आराजी को बेच कर रहेंगे। इस कारण प्रार्थी अपनी आराजी के हिस्से का तकासमा कराना चाहता है एवं अच्छी में अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी तकसीम की जाकर अलग से खाता एवं लगान कायम किया जावे। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे की प्रार्थी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे बेचान ना करे निर्माण ना करे नींव ना खोदे जबरन कब्जा ना करे एवं रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थनी की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 09.05.2019 को उभयपक्ष को आगामी तारीख पेशी तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा कि आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.91 है० वाके ग्राम खेडका तहसील अलवर में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा न्यायालय में जर्ये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.91 है० वाके ग्राम खेडका में अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

160 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.07.2017 को प्रार्थी
ज पुत्र मन्या बैरवा से 2,30,000/– रूपये में खरीद की है। जिस बयनामे
आधार पर इंतकाल संख्या 306 दिनांक 21.08.2017 को अप्रार्थी के पक्ष में
ं होकर मंजूर हो चुका। मिन अप्रार्थी का मौके पर कब्जा है एवं खरीदशुदा
राजी का उपयोग उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 की खरीदशुदा
राजी 19/160 हिस्सा जो रोड के लगते हुए है जिसके पूर्व, उत्तर दिशा में
न अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा पक्की दीवार निर्मित की हुई है एवं पूर्वी–उत्तरी
ोने में कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र रखने के लिए एवं कृषि की सुरक्षा के
लिए रिहायशी वास्ते एक कमरा बनाया हुआ है। जो मौके पर मौजूद है।
खरीदशुदा भूमि का निकास कर दक्षिण दिशा में स्थित अलापुर रोड पर है।
न्यायालय श्रीमान् विभाजन करना चाहे जिस जगह जो खातेदार हिस्से अनुसार
काबिज है उसी अनुसार पैमाईश कराई जाकर कुर्रेजात कायम करके प्रत्येक
खातेदार का खाता कायम कर कब्जा दिलाया जावे। प्रार्थी द्वारा पेशकर्दा प्रार्थना
पत्र एवं दिनांक 09.05.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने
का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 7 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 01.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में वर्णित विवरण को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 09.05.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) करने का न्यायालय को निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर दिनांक

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

.05.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का न्यायालय निवेदन किया एवं निम्न नजीरे पेश की:–

01– आरआरडी 2008 पेज 629

02– आरआरडी 2004 पेज 65

03– आरआरडी 2004 पेज 112

04– आरआरटी 2010(।।) पेज 1392

05– आरआरडी 2002 पेज 135

एवं आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर–द्वितीय अलवर दिनांक 30.07.2019 पेश की है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गई नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। हम दिनांक 09.05.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन कर, अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हिस्से तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु, ताफैसला वाद (Absolute) कन्फर्म किया जाना उचित समझते है।

अतः दिनांक 09.05.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन कर, आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 0.91 है० वाके ग्राम खेडका तहसील अलवर में प्रार्थी के हिस्से तक अप्रार्थीगण को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु, ताफैसला वाद (Absolute) कन्फर्म की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner